न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा जिला बून्दी (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी हरबिन्दर डी. सिंह (आर.ए.एस.)

मिसल नं.	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
104/प्रा.पत्र/2019 (आनलाईन 2023/179)	26.07.2023	01.05.2024

भीम सिंह आयु 66 वर्ष पुत्र श्री धन सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम जाखमूण्ड तहसील तालेडा जिला बून्दी।

– प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती आनन्द कंवर आयु 50 वर्ष पुत्री श्री रामसिंह
2. श्रीमती उमराव कंवर आयु 70 वर्ष पत्नि श्री रामसिंह
3. तेजेन्द्र सिंह आयु 40 वर्ष पुत्र श्री रामसिंह
4. भंवर सिंह आयु बालिग पुत्र श्री रामसिंह
5. मानकंवर आयु 38 वर्ष पुत्र श्री रामसिंह
6. रूपकंवर आयु 35 वर्ष पुत्री रामसिंह
7. लक्ष्मण सिंह आयु 67 वर्ष पुत्र श्री किशन सिंह
8. शिवराज सिंह आयु 62 वर्ष पुत्र श्री किशन सिंह
   जातियान राजपूत निवासीगण ग्राम जाखमूण्ड तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान।
9. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तालेड़ा जिला बून्दी।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता निर्माण अन्तर्गत धारा 251–क (1) आर.टी. एक्ट

उपस्थित अभिभाषक:–

अभिभाषक प्रार्थी :– श्री बृजमोहन गौतम
अभिभाषक अप्रार्थी :– श्री अनिल जैन

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क की उपधारा (2) राजस्थान टीनेंसी एक्ट सपठित सरकारी संशोधित नियम 2012 के नियम 68 के तहत प्रस्तुत किया गया। प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खाता संख्या नया 452 खसरा सं. 111 रकबा 2.4768 हैक्टे. खसरा सं. 1342/201 रकबा 0.0593 हैक्टे., खसरा सं. 200 रकबा 0.2428 हैक्टे., खसरा सं. 222 रकबा 0.7770 हैक्टे., खसरा सं. 223 रकबा 0.0405 हैक्टे., खसरा सं. 224 रकबा 0.7770 हैक्टे., खसरा सं. 225 रकबा 0.4694 हैक्टे., खसरा सं. 413 रकबा 0.0486 हैक्टे. वाके ग्राम जाखमूण्ड पटवार हल्का जाखमूण्ड तहसील तालेड़ा में स्थित है।

यह कि खतौनी जमाबंदी संख्या 214 की आराजी खसरा संख्या 227 रकबा 0.7042 हैक्टे. वाके ग्राम जाखमूण्ड तहसील तालेडा अप्रार्थीगण 1 लगायत 8 के खातेदारी की कृषि भूमि है, जो कोटा जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के खसरा संख्या 1287/227 से सटी हुई है। खसरा संख्या 1287/227 के उत्तर की और खसरा संख्या 1222/228 राष्ट्रीय राजमार्ग का है। खसरा संख्या 227 रकबा 0.7042 हैक्टे. अप्रार्थीगण का सम्पूर्ण रकबा प्रार्थी के खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 222, 223, 224 के आगे की और अर्थात पश्चिम दिशा के पूर रकबे के सामने आता है। प्रार्थी के खसरा नम्बर 222, 223, 224, 225 खातेदारी कृषि भूमि पर जाने के लिए कोई रास्ता अपनी कृषि भूमि पर पहुंचने के लिए नही है। प्रार्थी खसरा संख्या 227 में होकर ही रोड अर्थात रास्ता में आ जा सकता है परन्तु आज दिन तक प्रार्थी के उक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 222, 223, 224 एवं 225 आने–जाने के लिए कोई रास्ता विद्यमान नहीं है। जिससे प्रार्थी अपने खेत पर कृषि के लिए आने जाने, कृषि उपकरण लेजाने, कृषि का विस्तार करने आदि में काफी असुविधा हो रही है।

प्रार्थी खसरा संख्या 227 का समीपवर्ती खातेदार है। प्रार्थी राष्ट्रीय राजमार्ग के खसरा संख्या 1287/227 के उत्तरी कोने अर्थात खसरा संख्या 228 के कोने से खसरा संख्या 222 के उत्तरी–दक्षिणी कोने तक अर्थात सर्वप्रथम 30 फीट चौडा रास्ता खसरा नम्बर 227 के उत्तरी कोने से मौके पर नाप कर खसरा संख्या 214 एवं 215 के पश्चिमी कोने पर होते हुए खसरा संख्या 222 प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर बनी हुई मेढ से आज दिन तक प्रार्थीगण सदैव से ही आते रहे है एवं उपयोग उपभोग में लेते रहे है, उक्त मेढ के समीप ही 30 फीट चौडा रास्ता की प्रार्थी

जोत में पहुंचने के लिए प्राप्त करने का कानूनन अधिकारी है। प्रार्थी नियमानुसार अप्रार्थी की ईच्छानुसार अप्रार्थीगण के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 227 में होकर 30 फीट चौडे रास्ते में आयी हुई भूमि का नियमानुसार शुल्क जमा करवाने में तैयार है एवं विकल्प में यह भी निवेदन है कि यदि अप्रार्थी खसरा संख्या 227 की भूमि का मुआवजा शुल्क प्राप्त नही कर एवं जितनी भूमि खसरा संख्या 227 के रास्ते में जाती है, उतनी भूमि प्रार्थी की समीपवर्ती खातेदारी भूमि खसरा संख्या 222, 223, 224 में से उक्त भूमि अप्रार्थीगण को देने को तैयार है। प्रार्थी की खसरा संख्या 222, 223, 224, 225 एवं खसरा संख्या 1287/227 जो आम सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग है के मध्य खसरा संख्या 227 अप्रार्थीगण का ही है प्रार्थी की कृषि भूमि पर पहुंचने का और कोई मार्ग किसी भी ओर से नही है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण से उक्त रास्ते हेतु दिनांक 01.07.2023 को निवेदन किया किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा रास्ता देने से इनकार कर दिया गया। प्रार्थी को अधिकार है की वह अपने खेत पर पहुंचने हेतु अप्रार्थीगण को सुविधा हो उस और 30 फीट चौडा रास्ता दर्ज करावें। प्रार्थी उक्त रास्ता हेतु नियमानुसार शुल्क जमा कराने को तैयार है। आदरणीय न्यायालय को प्रार्थना पत्र श्रवणाधिकार प्राप्त है। अतः प्रार्थना है कि कृषि भूमि के खसरा संख्या 222, 223, 224 एवं 225 में खसरा संख्या 1287/227 आम रास्ते सडक से रास्ता प्राप्त करने के लिए खसरा संख्या 227 अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर से किसी भी और जहा अप्रार्थीगण को सुविधा हो उस ओर 30 फीट चौडा रास्ता खसरा संख्या 1287/227 से जोडने तक की कृषि भूमि को प्राप्त करने के लिए आदेश प्रदान किया जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं अप्रार्थी तहसीलदार तालेडा को आवेदित रास्ते के सम्बन्ध में औचित्यपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु तहरीर जारी की गई।

प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते के सम्बन्ध में अप्रार्थी तहसीलदार तालेड़ा द्वारा जर्ये पत्रांक 128 दिनांक 19.02.2024 से रिपोर्ट प्रस्तुत कर अंकित किया कि प्रार्थी भीमसिंह आत्मज धनसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम जाखमूण्ड पटवार मण्डल जाखमूण्ड द्वारा अपनी कृषि भूमि खसरा संख्या 224 व 225 में से होकर अन्य भूमियों पर जाने हेतु अप्रार्थी की कृषि भूमि खसरा संख्या 227 में से रास्ता चाहा गया है। प्रार्थी की भूमि की दक्षिण दिशाओं के सहारे पूर्व में ही न्यूनतम 30 फीट की चौडाई तक रास्ता दर्ज है, जो कि मौके पर भी मौजूद है। पूर्व में भी प्रार्थी व अन्य खेत वाले इसी रास्ते से होकर जाते थे। देखरेख के अभाव में एवं समतल ना होने व झाड–झंकाड उगे होने के कारण रास्ता उबड–खाबड है। वर्तमान में रास्ता पर्याप्त व चालू है। उक्त सरकारी रास्ते के खसरा संख्या 226 रकबा 0.2428 हैक्टे. है।

अप्रार्थीगण 1 लगायत 8 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के नाम दर्ज खसरा सं0 224 से ही लगता हुआ खसरा सं0 226 रकबा 0.2428 हैक्टे0 है जो राजस्व जमाबन्दी में नगर विकास न्यास कोटा के नाम किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है जो 30 फीट से भी अधिक चौडा है ऐसे में वादी की कृषि भूमि के खसरे तक जाने के लिए राजकीय रास्ता विधमान है जिसमें वादी आवागमन करता आ रहा है ऐसे में वर्तमान में वादी की भूमि में जाने का रास्ता मोजूद होने पर प्रतिवादीगण की कृषि भूमि में से रास्ता देना न्यायोचित नही है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज फरमाया जावे।

बहस उभय पक्ष सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क की उपधारा (1) राजस्थान टीनेंसी एक्ट के तहत अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कृषि भूमि पर रेकार्ड में रास्ता नही होने एवं कृषि भूमि पर कृषि कार्य एवं उपकरण इत्यादि की पहुंच हेतु रास्ता लिया जाना महती आवश्यकता है एवं अप्रार्थीगण द्वारा बताया गया रास्ता मौके पर चालू नही होने से नवीन रास्ता सृजित करने का निवेदन किया गया।

वकील अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर जिस प्रकार प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में कथन अंकित कर रास्ता चाहा गया है के संबंध में अवगत करवाया है कि प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा संख्या 224 एवं 225 में पूर्व से ही न्यूनतम 30 फीट की चौडाई का रास्ता दर्ज है जो कि मौके पर मौजूद है एवं जिसके खसरा संख्या 226 रकबा 0.2428 हैक्टै. है। वर्तमान में रास्ता पर्याप्त व चालू है।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अद्योपान्त अवलोकन किया। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड अनुसार प्रार्थी की आराजी पर पहुँच हेतु अन्य वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

आदेश

परिणामतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर पहुंच हेतु रास्ता राजस्व रेकार्ड में उपलब्ध होने से अस्वीकार किया जाता है। तहसीलदार तालेडा को निर्देशित किया जाता है कि रास्ते हेतु राजस्व रेकार्ड में अभिलिखित ख0सं0 को अपने वास्तविक मूल स्वरूप में रक्षित किया जावे ताकि आमजन उपयोग कर सके।

यह निर्णय आज दिनांक 01.05.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

(हरबिन्दर डी. सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
तालेड़ा